

अपील सूचना अधिकार संख्या 134/2021 (GCMS 2021/220) चुन्नीलाल पुत्र श्री पतराम शर्मा केयर ऑफ कृष्णलाल चलाना ग्राम पोस्ट गणेशगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान) पिनकोड-335025 (मोबाईल नम्बर 99500-41005) बनाम 1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर 2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर

10.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री चुन्नीलाल की बहस दिनांक दिनांक 04.01.2022 को सुनी गई। जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि की ओर से दिनांक 05.01.222 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलार्थी का कथन था कि उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2021 से अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना चाही थी, जो आजतक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और साथ ही अपीलार्थी को बतौर मानसिक परेशानी व अपील खर्चा पांच हजार रुपये व अन्य जो उचित समझे आदेश पारित किया जावे। बहस के दौरान अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण निर्णय धारा-6 के पृष्ठ संख्या 196-197, 205-210, 219-220, 184-185, सूचना का अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण निर्णय-धारा-2 के पृष्ठ संख्या 127-128, सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण निर्णय धारा 8 पृष्ठ संख्यर 447, 587-589, सूचना का अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण निर्णय-धारा-8 के पृष्ठ संख्या 390-392 की प्रतिया पेश की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1. कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकार, श्रीगंगानगर में बजट मद 2071-01-115 में हुए रुपये 37.38 करोड़ गबन प्रकरण में निदेशक, कोष एवं लेखा, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा कोष कार्यालय श्रीगंगानगर की गई जांच का जांच प्रतिवेदन मय संलग्न परिशिष्टों सहित प्रमाणित प्रतिलिपियाँ (दो सैट्स में)।

कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि श्री गोविन्दराम, वरिष्ठ सहायक भी दिनांक 04.01.2022 को उपस्थित आए और निवेदन किया कि वे विभाग की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कोष/गंगा/ 2019-20/53 दिनांक 05.01.2022 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली है जिसमें निम्नानुसार अंकित किया है और इसकी प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री चुन्नी लाल पुत्र पतराम शर्मा C/o कृष्ण चालाना वीपीओ गणेशगढ़ द्वारा चाही गई सूचना बजट मद 2071 में हुये 38 करोड़ रुपये के गबन प्रकरण में निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर द्वारा कोष कार्यालय श्रीगंगानगर की जांच का प्रतिवेदन मय संलग्नक बाबत प्रतिया चाही गई हैं। सम्बन्धित जांच निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान द्वारा की जानी है। इससे सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदन का मूल ही प्रार्थना पत्र जो श्रीमान् निदेशक, निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को कार्यालय के पत्रांक 35-37 दिनांक 27.10.2021 द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये है ताकि जांच से सम्बन्धित कार्यवाही की जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/—/2021/1414 दिनांक 17.12.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी की सूचना जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण उन्होंने अपने पत्रांक 1097 दिनांक 11.10.2021 से उन्हें लिख दिया गया था तथा अपीलार्थी इसकी प्रति उपलब्ध करवा दी गई थी।

चूंकि जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 53 दिनांक 05.01.2022 के अनुसार कार्यालय मुख्या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के गबन प्रकरण से सम्बन्धित जांच उनके द्वारा न की जाकर निदेशक कोष एवं लेखा, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान द्वारा की जा जानी है। जिससे सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो से मदद प्राप्त नहीं कर सकता। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को**